न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 404 / 2021
दायर दिनांक :– 27.09.2021

अनवान

1. मांगी पत्नि सूरजमल रेगर नि. गंधेर तह. जहाजपुर
2. नन्दलाल पिता सूरजमल रेगर नि. गंधेर तह. जहाजपुर
3. पप्पूराम पिता सूरजमल रेगर नि. गंधेर तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. काली देवी पत्नि बंशीलाल रेगर नि. नापा का खेडा
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश ::

दिनांक 31.08.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम गंधेर प0 ह0 गंधेर तह. जहाजपुर की आ. सं. 1519, 1631, 2042, 2225, 2228, 2713/1446, 2714/1665, 2715/2229 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0027 हैक्टेयर व आ. सं. 1715/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर भुमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी से दर्ज है। तथा ग्राम गंधेर प0 ह0 गंधेर तह. जहाजपुर की आ. सं. 1636, 2226 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3076 हैक्टेयर भुमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के नाम तथा हजारी पिता बालू के 1/2 राजस्व रेकार्ड में खातेदारी से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 1 के स्थान पर गणपत पिता सूरजमल के खाते दर्ज थी। गणपत की दिनांक 24.04.2018 को मृत्यु हो गई। गणपत के बचपन में गणपत का विवाह अप्रार्थी सं. 1 के साथ हुआ था। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 कभी अपने ससुराल नही आई एंव 24.05.2017 को जाति समाज के रिवाज के अनुसार गणपत से सम्बन्ध तोडकर बंशीलाल पिता मांगीलाल रेगर नि. खेडा तह. सावर जिला अजमेर के साथ नाता विवाह कर लिया तभी से अप्रार्थी सं. 1 गणपत की पत्नि नही रही एवं गणपत से उसके सम्पूर्ण सम्बन्ध समाप्त

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

हो गये। गणपत की दिनांक 24.04.2018 को मृत्यु हो गई। गणपत की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई एवं उसने पुराने दस्तावेजों के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको गणपत की विधवा बता गणपत की सम्पूर्ण कृषि भूमि विरासत से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि गणपत की मृत्यु के समय अप्रार्थी सं. 1 ने अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया था, इस कारण वह गणपत की पत्नि नही रही एवं न ही उसकी सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी रही, इस कारण अप्रार्थी सं 1 के नाम राजस्व अभिलेख से प्रार्थीया सं. 1 के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीया सं 1 भी मृत्तक गणपत की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। यदि अप्रार्थी सं. 1 मिथ्या दस्तावेजों एंव मिथ्या साक्ष्य से गणपत की पत्नि होना सिद्वि भी कर दे तो भी गणपत के हिस्से में से 1/2 की अधिकारणी प्रार्थीया सं. 1 है। इस कारण गणपत की सम्पूर्ण भूमि जो अप्रार्थीया सं. 1 के दर्ज की गई उसे निरस्त कर प्रार्थीया सं. 1 के 1/2 हक व हिस्से के लिये खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त वर्णित आराजियात में गणपत की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने गलत दस्तावेज के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको गणपत की विधवा बता गणपत की सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली एवं अप्रार्थी सं 1 अपने नाम गलत रूप से आई कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने, बेचान, विकय आदि हस्तांतरण करने पर आमदा है यदि अप्रार्थी सं 1 अपने नाम गलत रूप से आई कृषि भूमि को खुर्द बुर्द विकय, दान आदि हस्तांतरण कर देती है तो प्रार्थीगण को काफी मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा नाना प्रकार के मुकदमा बाजी को बढावा मिलेगा जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक मानसिक क्षति होगी जिसकी तुलना मुद्रा में नही आकी जा सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजियात अप्रार्थीगण सं. 1 विकय, रहन, बक्सीस, दान आदि हस्तांतरण न करे न करावे, एवं अप्रार्थी सं. 2 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी में स्थित है। गणपत के बचपन में गणपत का विवाह अप्रार्थी सं. 1 के साथ हुआ था। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 कभी अपने ससुराल नही आई एंव 24.05.2017 को जाति समाज के रिवाज के अनुसार गणपत से सम्बन्ध तोडकर बंशीलाल पिता मांगीलाल रेगर नि. खेडा तह. सावर जिला अजमेर के साथ नाता विवाह कर लिया। तभी से अप्रार्थी सं. 1 गणपत की पत्नि नही रही एवं गणपत से उसके सम्पूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो गये। गणपत की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

दिनांक 24.04.2018 को मृत्यु हो गई। गणपत की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई एवं उसने पुराने दस्तावेजों के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको गणपत की विधवा बता गणपत की सम्पूर्ण कृषि भूमि विरासत से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि गणपत की मृत्यु के समय अप्रार्थी सं. 1 ने अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया था, इस कारण वह गणपत की पत्नि नही रही एवं न ही उसकी सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी रही, उक्त वर्णित आराजियात में गणपत की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने गलत दस्तावेज के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको गणपत की विधवा बता गणपत की यदि सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। एवं अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम गलत रूप से आई कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने, बेचान, विकय आदि हस्तांतरण करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम गलत रूप से आई कृषि भूमि को खुर्द बुर्द विकय, दान आदि हस्तांतरण कर देती है तो प्रार्थीगण को काफी मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा नाना प्रकार के मुकदमा बाजी को बढावा मिलेगा जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक मानसिक क्षति होगी जिसी तुलना मुद्रा में नही आकी जा सकेगी। इस कारण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को विकय/खुर्दबुर्द कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजियात अप्रार्थीगण सं. 1 विकय, रहन, बक्सीस, दान आदि हस्तांतरण न करे न करावे, एवं अप्रार्थी सं. 2 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ग्राम गंधेर प0 ह0 गंधेर तह. जहाजपुर की आ. सं. 1519, 1631, 2042, 2225, 2228, 2713/1446, 2714/1665, 2715/2229, 1715/2, 1636, 2226 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित सहखातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि गणपत की मृत्यु के बाद विरासत से संपूर्ण भूमि अप्रार्थी सं. 1 काली देवी ने स्वयं को मृतक गणपत की पत्नि बताते हुए अपने नाम दर्ज करवाली है, जबकि काली देवी के मृतक की पत्नि होने की स्थिति में भी मृतक गणपत की मॉ प्रार्थी सं. 1 मांगी भी मृतक की भूमि में आधे हिस्से का अधिकार रखती थी। इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु एक सद्भावी केस प्रस्तुत किया गया है। जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो यथास्थिति बनी रहेगी। एवं अप्रार्थीगण को कोई विशेष क्षति नहीं होगी, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 उक्त विवादित भूमि को विकय/खुर्दबुर्द कर देती है तो वाद बाहुल्यता बढेगी तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (दौसा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम गंधेर प0 ह0 गंधेर तह. जहाजपुर की आ. सं. 1519, 1631, 2042, 2225, 2228, 2713/1446, 2714/1665, 2715/2229 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0027 हैक्टेयर व आ. सं. 1715/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर तथा आ. सं. 1636, 2226 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3076 हैक्टेयर में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को हस्तान्तरण न करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Scanned with CamScanner